स्वर सरिता के भावांजलि विशेषांक का लोकार्पण

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान की लोक संस्कृति केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक स्मृति, जीवन-मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान की जीवंत अभिव्यक्ति है। लोकगीत और लोकसंगीत हमारे समाज का मौखिक अभिलेख हैं, जिनमें पीढ़ियों के अनुभव, संवेदनाएं और जीवन दर्शन सुरक्षित हैं।

खोया पाया

मेरे प्लॉट नम्बर- F-37/C बक्सावाला जेडीए कॉलोनी 24/09/2026 आवंटनपत्र जेडीए द्वारा जारी, कब्जापत्र, ओरिजिनल रसीदे, उपहार पत्र, रजिस्ट्री, एग्रीमेंट, टीकमचंद मंघनानी एवं उमा मंघनानी के नाम से जारी किए हुए खो गए हैं मिलने पर सूचित करें - 9352707709

मेरे मकान नं.2/82, वाटिका आवासन योजना, सांगानेर, जयपुर का संशोधित आवंटन पत्र सं. 484 खो गया है । जो राजस्थान आवासन मण्डल प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर द्वारा 12/04/2023 को जारी किया गया था। मिलने पर सूचित करें। संध्या शुक्ला 9828921345

मेरे आवास संख्या 119/583, मानसरोवर, जयपुर का परपिच्युअल लीज डीड, पंजीयन दिनांक 03.11.2010, जो कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा श्री किशन दास श्रीवास्तव के हित में जारी किया गया था, कहीं गुम हो गया है मिलने पर कृपया सूचित करें श्याम कमलानी 9314114774

मेरे भूखंड संख्या- 16 व 45 पर्ल सिटी ग्राम- रामनिवास चाकसू, जयपुर। मेजर खन्ना गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र मेरे द्वारा रास्ते में गिर गए हैं मिलने पर सूचित करें। अनुराग शर्मा-9664163746

मेरे मकान 12/559 मालवीय नगर जयपुर का मूल डिक्लेरेशन पत्र मालवीय नगर में कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें- Vindra Soni 8769154942

में लाली मीणा W/o अशोक कुमार मीणा निवासी वार्ड न. 1 ढाणी नरसिंह डुंगरी के पास जयरामपुरा रोड नींदड़ जयपुर से हु की मेरी प्रॉपर्टी प्लॉट न 48 चम्पापुरी कॉलोनी योजना का पट्टा (लुनियावास ग्रह निर्माण सह. समिति से लाली देवी के नाम से जारी किया हुआ कही खो गया है मिलने पर सूचित करे -7852085509

भूखंड सं. A-258 जे.डी.ए. की योजना त्रिवेणी नगर जयपुर का मूल जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान एवं स्टाम्प पेपर, लाईसेंस डीड और अन्य मूल दस्तावेज़ कही गुम हो गए है सूचित करे- निर्मला जैन मो. 9829075213

मेरे भूखण्ड संख्या 5 योजना लोटस रेजीडेंसी जयपुर का जविप्रा द्वारा जारी मूल पट्टा, साईट प्लान और स्टाम्प पेपर सहित उक्त भूखण्ड के समस्त मूल दस्तावेज कही गुम हो गये है सूचित करे- रश्मि कौशिक मो.9529577888

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री गर्विता गोयल के जन्म प्रमाण पत्र में सहवन से माताजी- पिताजी का नाम रजनी यादव- धर्मेन्द्र सिंह यादव दर्ज हो गया। सही नाम रजनी- धर्मेन्द्र गोयल है। भविष्य में उसे गर्विता गोयल पुत्री रजनी एवं धर्मेन्द्र गोयल के नाम से जाना जावें। 56/96, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान-302020

I have Changed My Name from Mohammed Iqbal to IQBAL AHMED S/o Abdul Saied for all Future Purpose. Address:134/6 Mohalla Ichawatan, Near Nijam Pehalwan, Badanpura Jaipur 302002

I have Changed My Name from Azizur Rehman Khan to AZIZ UR RAHMAN S/o MO HANIF for all Future Purpose. Address: 1531, Kamela gali M.D.Road, Jaipur 302003

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

एम.जे.एफ. इंस्टीट्यूट ऑफ वेट्नरी साइंस
(राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा सम्बद्धता प्राप्त)
चौमूं, जयपुर 9784127000

प्रवेश सूचना सत्र 2026-27

पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम (A.H.D.P.)

सत्र 2026-27 हेतु 2 वर्ष 6 माह पशुपालन डिप्लोमा (A.H.D.P) पाठ्यक्रम में मैनेजमेन्ट कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक एवं RAJUVAS, बीकानेर के अनुसार योग्यताधारी अभ्यार्थियों से सादा कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

स्टेट कोटे की अंतिम काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रहने वाली सीटों को भी इन आवेदनो की मेरिट से भरा जायेगा ।

आवेदन की अंतिम तिथि :- 13 अक्तूबर 2026
योग्यता :- जीव विज्ञान/ कृषि संकाय में 10+2
आयु :- 17 वर्ष (31 दिसम्बर 2026) प्राचार्य

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हैड कांस्टेबल से सीआई तक की पदोन्नतियों का रास्ता साफ

राजस्थान हाईकोर्ट ने कई सालों से अटकी इन पदोन्नतियों पर लगी रोक हटाई और इन्हें चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया

- जस्टिस आनंद शर्मा ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार व पुलिस विभाग की साल 2013-14 के खाली पदों पर की गई पदोन्नित प्रक्रिया सही है, इसमें मनमाना व एकतरफा बदलाव नहीं किया है और यह नियमों के तहत ही है।
- वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि, राज्य सरकार ने 2013-2014 और 2015-2016 के पुलिसकर्मियों के खाली पदों की सही गणना नहीं की है। इसके कारण उनकी पदोन्नित प्रभावित हो रही है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कई सालों से अटकी हुई हैड कांस्टेबल से सीआई तक के पद पर होने वाली पदोन्नितयों का रास्ता साफ करते हुए इन पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही अदालत ने पदोन्नित प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि साल 1989 के नियमों के तहत पदोन्नित प्रक्रिया को आगे बढाया जाए। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश तेजराम व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने राज्य सरकार व पुलिस विभाग की साल 2013-14 के खाली पदों पर की गई पदोन्नित प्रक्रिया को सही करार देते हुए कहा कि इसमें मनमाना व एकतरफा बदलाव नहीं किया है और यह नियमों के तहत ही है।

अदालत ने अपने आदेश में माना है कि राज्य सरकार ने पहले से चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता और पदोन्नित की स्थिति को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। इसके साथ ही बाद के सालों में पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नियमित कैडर की रिक्तियों को भी सुरक्षित रखा है। ऐसे में जब संशोधित निर्णय में वैधानिक नियमों का उल्लंघन, स्पष्ट मनमानी, भेदभाव या दुर्भावनापूर्ण निर्णय ही साबित नहीं हुआ है तो अदालत निर्धारित कैडर की संख्या या पदोन्नित के खाली पदों को लेकर दखल उचित नहीं समझता।

पुलिसकर्मियों ने याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता हिमांशु जैन ने पैरवी की। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में अधिवक्ता शोवित झांझरिया व अधिवक्ता तनवीर अहमद भी पैरवी के लिए पेश हुए थे। पुलिसकर्मियों की ओर से याचिकाओं में कहा गया कि कांस्टेबल से हैडकांस्टेबल के लिए 771 पद रिक्त हैं, जबकि विभाग में परीक्षा लेकर पदोन्नति करने के लिए केवल 425 पद अंकित किए हैं। यह आंकड़ा विभाग से आरटीआई में प्राप्त दस्तावेजों में सामने आया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता, अगर इसमें पिछले वर्ष के बचे हुए रिक्त 31 पदों को जोड़ लिया जाए, यानि कि कुल 802 पद होंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से गया कि, अगर यह मान भी लिया जाए कि, वर्ष 2013-14 के 425 पदों के लिए जो लिखित परीक्षा हुई थी प्रमोशन के लिए, तब भी 376 पद रिक्त होने चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, वर्ष 2022 में हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को आदेश दिए थे कि, राज्य सरकार इस मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई, जो तय करे कि प्रतिवर्ष विभाग में कितनी रिक्तियां हैं।

परंतु इस कमेटी ने भी वहीं गलती दोहराई, जो कि पुलिस विभाग पदों की गणनों को लेकर पहले से करता आ रहा था। वर्ष 2015-16 में तो विभाग ने सिर्फ 19 रिक्तियां ही बताई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर कमेटी की सिफारिशों पर हाईकोर्ट ने स्टे पारित किया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पदोन्नित प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हो रहा और उन्हें पदोन्नित नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार ने 2013-2014 और 2015-2016 के पुलिसकर्मियों के खाली पदों की सही गणना नहीं की है। इसके उनकी पदोन्नित प्रभावित हो रही है, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह खाली पदों की सही गणना कर याचिकाकर्ताओं को पदोन्नित दे। राज्य सरकार ने इस मामले में चल रही अंतरिम रोक के दौरान 78 सब इंस्पेक्टर की अतिरिक्त पद सृजित किए हैं, वहीं 247 एएसआई के पद तथा 84 हैड कांस्टेबल के पद सृजित किये है। सरकार ने कए रिव्यू बोर्ड बनाया है, जिसने हर वर्ष खाली होने वाले पदों की गणना की है, वर्ष 2009-10 व 2012-13 में 702 कांस्टेबल को हैड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन दिया है। इस रिव्यू बोर्ड की सिफारिशों पर उच्चस्तरीय कमेटी ने पुन: काम किया। वर्ष 2009-10 से लेकर 2013-14 तक 900 से अधिक रिक्त पद थे।

इसके विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से एएजी भुवनेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमानुसार ही पदोन्नित प्रक्रिया की है और इसमें कोई मनमानी नहीं की गई है। वर्ष 2024 के बाद से हुई रिव्यू बोर्ड की एक्सरसाइज़ के बाद से 1147 कांस्टेबल्स को पदोन्नति दी गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रोक हटाते हुए पदोन्नित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा।

जयपुर में शराब ठेकेदारों का आबकारी मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन

जयपुर। आबकारी ऑफिस के बाहर आज शराब ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन करके धरना दिया। शराब की दुकानें (ठेके) रात 11 बजे तक संचालित करने की अनुमति देने समेत कई मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया।

राज लिकर वेल्फेयर सोसायटी के बैनरतले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में सोसायटी के प्रदेशाध्यक्ष निलेश मेवाड़ा ने बताया कि सरकार ने बीते वित्तवर्ष (साल 2025-26) के आखिरी माह मार्च में जिन ठेकेदारों ने शराब बेचने का टारगेट पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा शराब का उठाव करके बेचान किया।

उसके अतिरिक्त बेचान या कहे उठाव का समायोजन सरकार ने मौजूदा वित्तवर्ष के टारगेट में करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार उस टारगेट का समायोजन नहीं कर रही। सरकार ने इस साल शराब बेचने का टारगेट में 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, लेकिन आश्वासन दिया था कि शराब ठेके के संचालन समय में बढ़ोतरी पर विचार करेंगे। ठेके रात 8 बजे के बजाए 11 बजे तक ठेके खोलने की अनुमति देने के आश्वासन पर सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया। साथ ही शराब की सप्लाई भी डिपो से पर्याप्त नहीं मिल रही। गंगानगर शुगर मील से आने वाली शराब की आपूर्ति में कमी आने से बिक्री पर असर आ रहा है।मेवाड़ा ने बताया कि सरकार एक तरफ ठेकेदारों पर ज्यादा शराब बेचने का टारगेट दे रही है, ताकि सरकार की ज्यादा से ज्यादा इनकम हो।

कार्यालय-उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर
(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास)
क्रमांक एफ-53/डी.सी./एसएनजैड/ननिज/2026-27/2164 दिनांक :29/09/26

सार्वजनिक सूचना/ विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हरि किशन जाट पुत्र श्री कल्याण सहाय द्वारा नगर निगम रोड (भगतसिंह रोड) पी.एच.ई.डी. क्वार्टर के पास, सांगानेर, जिला: जयपुर का उपविभाजन चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक का नाम	भूखण्ड का स्थल	वार्ड नं.	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	योजना
हरि किशन जाट पुत्र श्री कल्याण सहाय	नगर निगम रोड (भगतसिंह रोड) पी.एच.ई.डी. क्वार्टर के पास, सांगानेर जयपुर	51	67.44	उप-विभाजन

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपविभाजन किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/व्यक्ति/ हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी। मनमोहन शर्मा (आर.ए.एस.)
उपायुक्त- सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-1 जयपुर महानगर-द्वितीय, जयपुर
मोहम्मद उमर बनाम लायक खान
वाद/प्रार्थना पत्र.....
प्रार्थना-पत्र संख्या T.I. 52/2026

नाम लायक खान पुत्र श्री सुलतान खान, उम्र 69 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी मकान नम्बर 3337 से 3339, रास्ता सिलावटान, मोतीकटला डिस्पेन्सरी के सामने, चौकडी रामचन्द्र जी, जयपुर (राजस्थान) को

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न नहीं है।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 15 माह 10 सन् 2026 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो । यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगें तेा उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा

यह आज दिनांक 29 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर
रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-01 जयपुर महानगर द्वितीय

नाम परिवर्तन मैं रीतु सोनी पत्नी राहुल कुमार सोनी जाती सोनी उम्र 35 वर्ष वार्ड न0 44 नया, मोचीवाड़ा चुरू (राज0) यह कि कुनाल सोनी मेरा पुत्र है जिसके स्कूल कक्षा 8 रिकॉर्ड में माता का नाम रीतु व पिता का नाम राहुल सोनी अंकित है जो गलत है। अब मैं मेरे पुत्र कुनाल के स्कूल रिकॉर्ड में माता का नाम रीतु सोनी व पिता का नाम राहुल कुमार सोनी अंकित करवाना चाहती हूं जो सही है।

कार्यालय-उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर
(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास)
क्रमांक एफ-53/डी.सी./एसएनजैड/ननिज/2026-27/2165 दिनांक :29/09/26

सार्वजनिक सूचना/ विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हरि किशन जाट पुत्र श्री कल्याण सहाय द्वारा नगर निगम रोड (भगतसिंह रोड) पी.एच.ई.डी. क्वार्टर के पास, सांगानेर, जिला: जयपुर का उपविभाजन चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक का नाम	भूखण्ड का स्थल	वार्ड नं.	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	योजना
हरि किशन जाट पुत्र श्री कल्याण सहाय	नगर निगम रोड (भगतसिंह रोड) पी.एच.ई.डी. क्वार्टर के पास, सांगानेर जयपुर	51	237.12	उप-विभाजन

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपविभाजन किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/व्यक्ति/ हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही संपादित कर दी जावेगी। मनमोहन शर्मा (आर.ए.एस.)
उपायुक्त- सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक 2825 **आम जाहिर सूचना** दि.07.08.2026

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 9466 दिनांक 28.02.2011 जारी कर फ्लैट संख्या 11/1196 (FF) मालवीय नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 8.86 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्री अतुल टकसाली पुत्र स्व. श्री नवल किशोर टकसाली के पक्ष में किया गया था। उनके द्वारा फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 26.03.2011 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री अतुल टकसाली पुत्र स्व. श्री नवल किशोर टकसाली के द्वारा फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री आशीष मैथ्यू पुत्र श्री टी.के. मैथ्यू को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप-पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर में दिनांक 26.03.2011 को करवाया गया है। तत्पश्चात श्री आशीष मैथ्यू पुत्र श्री टी.के. मैथ्यू के द्वारा फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती सीमा भाटिया पत्नी श्री संजय भाटिया को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप-पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 14.05.2012 को करवाया गया है। तत्पश्चात श्रीमती सीमा भाटिया पत्नी श्री संजय भाटिया के द्वारा फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप-पंजीयक सांगानेर, द्वितीय में दिनांक 04.06.2012 को करवाया गया है। तत्पश्चात श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह के द्वारा फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री त्रिलोक सिंह चावला पुत्र श्री करतार सिंह चावला को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप-पंजीयक, जयपुर, अष्टम में दिनांक 24.08.2020 को करवाया गया है। तत्पश्चात श्री त्रिलोक सिंह चावला पुत्र श्री करतार सिंह चावला के द्वारा फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती रोशनी मीना पत्नी श्री मेघराज मीना को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप-पंजीयक, जयपुर, नवम में दिनांक 27.08.2024 को करवाया गया है। श्रीमती रोशनी मीना पत्नी श्री मेघराज मीना के द्वारा के द्वारा फ्लैट का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया हैं। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त श्रीमती रोशनी मीना पत्नी श्री मेघराज मीना का नाम मण्ड रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा। सम्पदा प्रबंधक- राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक 3297 **आम जाहिर सूचना** दि.28.10.2026

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फ्लैट संख्या 11/1188 (Ground Floor) मालवीय नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 36.70 वर्ग मीटर का आवंटन श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3583 दिनांक 12.05.2023 जारी किया गया था। उनके द्वारा फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर द्वितीय में दिनांक 05.07.2023 को करवाया गया। तत्पश्चात मूल आवंटी श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा की मृत्यु दिनांक 06.03.2024 को हो जाने के कारण उनके विधिक वारिसानों श्री चन्द्रशेखर शर्मा (पुत्र), सुश्री विनीता शर्मा (पुत्री) एवं श्रीमती सपना शर्मा (पुत्री) के द्वारा उक्त फ्लैट में से अपने-अपने हिस्से का हकत्याग श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री प्यारे लाल शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। उक्त हकत्याग पत्र को कार्यालय उप पंजीयक-द्वितीय, जयपुर से दिनांक 05.08.2024 को पंजीबद्ध करवाया गया है। तत्पश्चात हकत्याग प्राप्तकर्ता श्री सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री प्यारे लाल शर्मा के द्वारा उक्त फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती रोशनी मीना पत्नी श्री मेघराज मीना को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर नवम में दिनांक 07.08.2024 को करवाया गया। श्रीमती रोशनी मीना पत्नी श्री मेघराज मीना के द्वारा उक्त आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम केती का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया हैं। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त श्रीमती रोशनी मीना पत्नी श्री मेघराज मीना का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।
सम्पदा प्रबंधक- राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक 3359 **आम जाहिर सूचना** दि.30.09.2026

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा आवास संख्या 1/698 मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 44.00 वर्ग मीटर का नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र कमांक 4708 दिनांक 30.03.2013 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री आसुदाराम के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय में दिनांक 31.03.2013 को करवाया गया था। श्रीमती पुष्पा देवी की मृत्यु दिनांक 23.07.2026 को हो जाने के कारण उनकी पुत्रवधु श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री धर्मदास गंगवानी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा की छाया प्रति प्रस्तुत कर, उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री धर्मदास गंगवानी के पक्ष में आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जायेंगी।
सम्पदा प्रबंधक- राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय, जयपुर।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 205/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुवालाल निवासी वार्ड न. 01, चौधरी मोहल्ला, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत पोद्दार पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थान लीली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 15.9.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.11.26

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्र.स.-5 जयपुर महानगर द्वितीय
श्रीमती भगवती चौहान **विरुद्ध** श्रीमती सोहनी देवी
बाद बाबत ....
वाद सं. 632 सन् 2026
बनाम दीपा बरोर पत्नी महेन्द्र बारूपाल

जाति ...... स्थान इन्द्रा कॉलोनी मेड़ता नागौर, राजस्थान ने आपके विरुद्ध........के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालयमें तारीख 12 माह 10 सन् 2026 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता० 30माह 9 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

गोल मोहर
रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-5
जयपुर महानगर द्वितीय

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्र.स.-5 जयपुर महानगर द्वितीय
श्रीमती भगवती चौहान **विरुद्ध** श्रीमती सोहनी देवी
बाद बाबत ....
वाद सं. 632 सन् 2026
बनाम श्रीमती कमला पत्नी शंकरलाल कड़िया

जाति ...... स्थान विकास नगर मुरलीपुरा, जयपुर ने आपके विरुद्ध........के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालयमें तारीख 12 माह 10 सन् 2026 को दिन में 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 30 माह 9 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

गोल मोहर
रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-5
जयपुर महानगर द्वितीय

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-1, जयपुर महानगर-द्वितीय, जयपुर
मोहम्मद उमर बनाम लायक खान
दावा बाबत वसूली
वाद सं. C.S. 45/26 सन् 2026

बनाम लायक खान पुत्र श्री सुलतान खान, उम्र 69 वर्ष जाति मुसलमान, निवासी मकान नम्बर 3337 से 3339, रास्ता सिलावटान, मोतीकटला डिस्पेन्सरी के सामने, चौकडी रामचन्द्र जी, जयपुर (राजस्थान) आपके विरुद्ध.... के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 15 माह 10 सन् 26 को दिन में 10.30 ए.एम. बजे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी वारदान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखि/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।

आपको सूचित किया जाता है यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगें तो प्रार्थना पत्र की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

यह प्रार्थना पत्र दिनांक 29 माह 09 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय

भावनगर जहरीली शराबकांड का मुख्य आरोपी एएनटीएफ के हत्थे चढ़ा

13 मौतों के बाद फरार था लादूराम, पांच राज्यों में बदल रहा था ठिकाने

गुजरात के भावनगर जहरीली शराब कांड में 13 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी लादूराम को राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया।

- राजस्थान एएनटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस को सौंपा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । गुजरात के भावनगर जहरीली शराब कांड में 13 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे लादूराम उर्फ गणेश (22) को राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के कारोंही थाना क्षेत्र स्थित मेहंदगढ़ निवासी लादूराम घटना के बाद से फरार था। गुजरात पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 22 टीमें लगा रखी थीं। एएनटीएफ ने आरोपी को निरुद्ध कर गुजरात पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

एएनटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अगस्त 2026 में गुजरात के भावनगर जिले के घोघा तालुका के खरखड़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बीमार हुए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथी कबाड़ी से ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें खरीदकर उनमें मेथेनॉल युक्त अवैध शराब भरते और सील-पैक कर बेचते थे। घटना के बाद लादूराम अवैध शराब की फैक्ट्री छोड़कर फरार हो गया था। गुजरात स्टेट मॉनिटरिंग सेल की जांच और गिरफ्तार सह-आरोपियों से पूछताछ में उसका नाम मुख्य सरगना के तौर पर सामने आया।

पुलिस के अनुसार आठवीं तक पढ़े लादूराम ने वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश के धार में काम किया। इसके बाद गुजरात के भुज और वडोदरा में आइसक्रीम पार्लर व वैन पर काम किया और गांधीनगर में पानीपुरी का ठेला भी लगाया। अपेक्षित कमाई नहीं होने पर भुज में उसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई। पुलिस के अनुसार इसी दौरान वह अवैध शराब के कारोबार में शामिल हुआ और पिछले करीब दो वर्षों से इस धंधे में सक्रिय था।

एएनटीएफ की टीम भीलवाड़ा के एमडी फैक्ट्री मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में लातूर पहुंची थी। वहां एक आइसक्रीम फैक्ट्री की आड़ में एमडी तैयार किए जाने की सूचना थी। इसी दौरान टीम को टेंपो में आइसक्रीम रखते हुए गुजरात पुलिस के हुलिए से मिलता-जुलता व्यक्ति दिखाई दिया। पूछताछ में उसकी पहचान लादूराम के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने भावनगर जहरीली शराब कांड में फरार होना स्वीकार किया। जांच में यह भी सामने आया कि मुखबिर की लादूराम से पुरानी रंजिश थी और उसने एमडी फैक्ट्री के बहाने एएनटीएफ को सूचना दी थी।पुलिस के अनुसार भावनगर कांड के बाद लादूराम गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। वह राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में रहा। एएनटीएफ ने इसी माह तेलंगाना से मादक पदार्थ तस्करी के तीन वांछित आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
349
24.8.26
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, (उत्तर), जयपुर महानगर, द्वितीय, जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरूद्ध अलियम्मा पी. योहानन
वाद बाबत वसूली 1,27,017.00 रुपये वाद संख्या 167 सन्2022

बनाम; 1.अलियम्मा पी.योहानन पत्नी श्री के.जॉन, निवासी-मकान संख्या 1/432, सैक्टर नं.1, न्यू विद्याधर नगर, अम्बाबाड़ी, जयपुर-302023, एवं केयर ऑफ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, रींगस, जिला-सीकर

वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 04 माह 11 सन् 2026 को दिन में 10:00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद तारीख 24 माह 8 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

सील
अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर महानगर द्वितीय

COLLEGE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (Raj.)
No.: CTAE/Accts/Tender/2026/4713-18 Date: 30-09-2026

निविदा आमंत्रण सूचना
(CTAE/NIT/2026-27/05)

CTAE कॉलेज में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। समस्त शर्तें एवं विस्तृत विवरण https://www.ctae.ac.in, https://www.mpuat.ac.in या https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। भविष्य में निविदा से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही उपलब्ध होगा। निविदा जमा करवाने की अंतिम तारीख 12.10.2026 है।

UBN: ATU2627GSOB00188, ATU2627GSOB00189, ATU2627GSOB00190

DEAN, CTAE

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति दौसा (राज)
PH: 01427-230078 mailid- kums.dausa@rajasthan.gov.in
क्रमांकः—24783346 दिनांकः— 29.09.2026

संशोधित आवंटन सूचना

इस कार्यालय की पुर्व आवंटन विज्ञप्ति सूचना क्रमांक 209—231 दिनांक 06.07.2026 एवं संशोधित आवंटन विज्ञप्ति राजकाज रेफरेन्स क्रमांक 23827613 दिनांक 05.08.2026 द्वारा गौण मण्डी प्रांगण नांगल राजावतान (मानपुरिया फल—सब्जी) में चिन्हित रिक्त 73 भूखण्डों एवं गौण मण्डी लवाण में अनाज व्यापार हेतु चिन्हित रिक्त 62 भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्तानुसार भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने की अवधि दिनांक 14.10.2026 (15 दिवस) तक बढ़ाई जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेगी। सो सूचित होवे। यह संशोधित स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज.संवाद / सी / 26 / 11038 प्रशासक सचिव

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई - निविदा
ई—टेण्डर नोटिस नंबर एसएनटी—जेपी—27—2026—27 दिनांक : 25.09.2026

मंडल रेल प्रबंधक / सं एवं दू. उ. प. रे. जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी और से निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई—निविदा का ऑनलाइन ई—टेंडर आमंत्रित किया जाता है। **कार्य का नाम व लोकेशन :** जयपुर डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों / एल् सी गेट्स / ऑटो हट्स में स्टेटकोन ईनार्जिया द्वारा बनाए गए इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई) सिस्टम के विभिन्न मॉड्यूल्स / कंपोनेंट्स की टेस्टिंग / मरम्मत / बदलाव के लिए 3 साल का व्यापक वार्षिक रखरखाव का अनुबंध। **अनुमानित लागत** : ₹1,14,94,167.66 /— **बिड सिक्यूरिटी** : 2,29,900 /— **वेबसाइट पर टेंडर भरने की अंतिम तिथि एवं समय :** 21.10.2026 समय 15.00 बजे तक। **वेबसाईट का विवरण और नोटिस बोर्ड की लोकेशन : www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बर्ड लोकेशन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पवार हाउस रोड, जयपुर। 1394-DI/26

हमें f X /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, रतनगढ़ जिला चूरू
Email: cbeortn@gmail.com
क्रमांक:सीबीईओ/समसा/रतनगढ़/2026-27/46 दिनांक:28/09/26

खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रंण सूचना (वर्ष 2026-27)

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 में आयोजित होने वाले विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों में सम्भागियों के लिए चाय, नाश्ता व भोजन व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर तथा कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

NIB
UBN:RSE262755080141I-TENT
UBN-RSE2627550801412-FOOD

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा, रतनगढ़

जेपीएमआईए में 30 भूखंडों के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन

पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख विनिर्माण केन्द्र बनाने की तैयारी

जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए) में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में 30 भूखंड प्रत्यक्ष आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। इनमें 28 औद्योगिक और 2 मोटल/रेस्टोरेंट भूखंड शामिल हैं। औद्योगिक भूखंडों में 23 टेक्सटाइल जोन और 5 जनरल जोन के हैं। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरआईडीसीओ) ने ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू कर दी है। निवेशक 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवंटन के समय 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि के भुगतान के लिए 11 त्रैमासिक किस्तों का विकल्प है।डीएमआईसी राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत विकसित हो रहा जेपीएमआईए का पहला चरण करीब 1578 एकड़ में है। जोधपुर-पाली के बीच स्थित यह क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से करीब 60 किलोमीटर तथा जोधपुर रेलवे स्टेशन और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 30 किलोमीटर दूर है। परियोजना में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 2 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। यहां टैक्सटाइल एवं परिधान, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प और भवन निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजना है। परियोजना से जोधपुर-पाली सहित पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)
Email :- bdabharatpur@rajasthan.gov.in, bdabharatpur@gmail.com
क्रमांकः- नियमन/2026/24807059 दिनांक:30/9/2026

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का नियमन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। सूचित इस भूखण्ड का नियमन / आवंटन आवेदकों के पक्ष में करने पर किसी व्यक्ति, व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के सात दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देवें अन्यथा आवेदकों के पक्ष में भूखण्ड का नियमन कर दिया जायेगा :-

क्र. सं.	ऑनलाईन	नाम आवेदनकर्ता	योजना का नाम	खसरा नं. चक नं./ ग्राम/तहसील	भू.सं.	क्षेत्रफल वर्गगज में	भूखण्ड किससे क्रय किया गया	क्रय का प्रकार एवं दिनांक अपंजीकृत इकरारनामा/वयनामा
1	443160	श्रीमती राजरानी पत्नी श्री जयन्ती	जगन्नाथपुरी फेज-3	खसरा नम्बर 3027, 3028 कस्बा भरतपुर चक नम्बर 02	111	88.88	श्री रमेशचंद पुत्र श्री रामदयाल	वयनामा दिनांक 27.04.2026
2	445284	श्रीमती मुक्ति देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार	गिरीश कॉलौनी विहार	खसरा नम्बर 556 कस्बा भरतपुर चक नम्बर 01	69	148.14	श्रीमती सुषमागुप्ता पत्नी श्री बृजेश कुमार गुप्ता	वयनामा दिनांक 11.03.2011
3	450113	श्री देवानंद पुत्र श्री भुगड़ामंल	गिरीश कॉलौनी	विहार खसरा नम्बर 550 कस्बा भरतपुर चक नम्बर 01	126	150.00	श्रीमती विमला देवी पुत्री पूरनचन्द पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार	वयनामा दिनांक 10.06.2004

उपायुक्त
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर